

**जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।**

सी०सी०ए० केस सं०-32/15-16

राज्य -बनाम- अमरनाथ सिंह

तिथि	आदेश	अभियुक्ति
	<p>वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक:-422/डी०सी०बी०, दिनांक:-10/03/2016 द्वारा अपराधकर्मी अमरनाथ सिंह, पे०-राजेश्वर सिंह, सा०-गौड़ बस्ती कृष्णा नगर, थाना-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3)(a) के अन्तर्गत जिला निष्कासन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। इस अपराधकर्मी पर वर्तमान में (1) मानगो थाना काण्ड सं०-330/05, दिनांक:-01.10.15, धारा-302/34 भा०द०वि०, (2) मानगो थाना काण्ड सं०-213/09, दिनांक:-14.06.09, धारा-324/307/353/414/504 भा०द०वि०, 25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट एवं 3/4 वि० पदा० अधि० एवं (3) मानगो थाना काण्ड सं०-27/10, दिनांक:-23.01.10, धारा-386/387/120बी भा०द०वि० दर्ज है। आरोप पत्र समर्पित है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि अपराधकर्मी जमशेदपुर शहर एवं आस-पास के क्षेत्रों में अपने नाम का भय फैला रखा है तथा इन दिनों इनका आतंक शहर में व्याप्त है।</p> <p>वरीय पुलिस अधीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि अपराधकर्मी अमर नाथ सिंह एक पेशेवर अपराधकर्मी है। इनके क्रियाकलाप के कारण यहाँ की शांति व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। यह अपराधी हाल में ही जेल से छुटकर आया है और इसके जेल से छुटने पर मानगो एवं समीप के थाना क्षेत्रों में भय व्याप्त है तथा इनके घर पर अक्सर संदिग्ध लोगो का आना-जाना लगा रहता है, जिससे आमजनों में भय का माहौल बन गया है। जब तक ये न्यायिक हिरासत (जेल) में रहें, तब तक इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी आयी, जो इनके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है।</p> <p>उपर्युक्त तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(1)(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत अपराधकर्मी से कारणपृच्छा मांगा गया।</p> <p>याचित कारणपृच्छा के विरुद्ध अमरनाथ सिंह द्वारा समर्पित जवाब में आधारहीन बेबुनियाद एवं अप्रासंगिक तथ्यों का समावेशन किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। उनके द्वारा आरोप को नकारने का प्रयास किया गया है। अपराधकर्मी अमरनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषप्रद है। स्पष्ट है कि इनके द्वारा कारित अपराध भा०द०सं० के चैप्टर XVI एवं चैप्टर XVII की श्रेणी के हैं जो झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 2(d) के तहत इनके असामाजिक तत्व होने का द्योतक है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत अनेकों अपराध कार्य किये गये हैं एवं इनके कृत्य से लोक व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति के भंग होने की प्रबल संभावना है।</p> <p>अतः वरीय आरक्षी अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्रस्तुत</p>	

10/5/16

प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखने के निमित्त अपराधकर्मी अमरनाथ सिंह, पे0-राजेश्वर सिंह, सा0-गौड़ बस्ती कृष्णा नगर, थाना-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को इस जिले से निष्कासन करना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 3 (3)(a) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी अमरनाथ सिंह, पे0-राजेश्वर सिंह, सा0-गौड़ बस्ती कृष्णा नगर, थाना-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को दिनांक:-20.05.2016 से अगले छः माह अर्थात् दिनांक:-19.11.2016 तक की अवधि के लिए इस जिले से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 7(1)(b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0-25,000.00 का बंधपत्र (with two surities) दिनांक:-19.05.2016 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक:-20.05.2016 से अगले छः माह अर्थात् दिनांक:-19.11.2016 तक पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 (अंगीकृत) धारा-7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी अमरनाथ सिंह झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय में आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति अमरनाथ सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजा जाय।

(लेखापित)

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।